छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 33/वित्त/ब–4/बजट–सम./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.4.21

प्रति,

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

(2) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी

(3) समस्त कार्यलय प्रमुख/आहरण संवितरण अधिकारी

(3) समस्त कोषालय अधिकारी

विषयः– मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से एक दिन की राशि कटोत्रा के संबंध में।

———00———

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा कोविड–19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु दिनांक 13 अप्रैल 2021 को शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान देने की अपील की है। इसके अनुक्रम में राज्य के आईएएस एसोशिएसन, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों, राजपत्रित अधिकारी संघ एवं अन्य विभिन्न संगठनों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से एक दिन के वेतन की कटौती करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का अनुरोध किया गया है।

2. वित्त विभाग द्वारा इस हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से 1 दिन के वेतन की राशि की कटौती कर निम्नानुसार बजट शीर्ष में जमा कराने की सुविधा ई–पेरोल सॉफ्टवेयर के Utilities Menu के अंतर्गत Relief Fund Update option में उपलब्ध करायी गयी हैः–

मुख्य शीर्ष 8443 – सिविल जमा राशियां

लघु शीर्ष {800} – अन्य जमा राशियां

योजना क्र. (0001) – मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा

3. अतः उपरोक्तानुसार अप्रैल माह के वेतन से 1 दिवस की राशि का कटोत्रा सुनिश्चित करते हुए वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। कृपया तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(शारदा वर्मा)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 34 /वित्त/ब–4/बजट–सम./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/5/21

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़
6. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
13. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17 समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
19. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया ई–कोष सॉफ्टवेयर में वेतन देयक से की गयी कटोत्रा राशि को लोक लेखा जमा शीर्ष में संपूर्ण राशि का विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की यवस्था करें।
20. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लोक लेखा जमा शीर्ष (मुख्यमंत्री राहत कोष) में जमा राशि को एन. आई.सी. के माध्यम से ई–कोष से प्राप्त जमा राशि के विवरण अनुसार आहरित कर बैंकर्स चेक/आरटीजीएस के माध्यम से **मुख्यमंत्री राहत कोष के बैंक खाते में जमा कराएं**।
21. ....संबंधित अधिकारी/कर्मचारी संघ की ओर सूचनार्थ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग